न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

विविध वाद सं0 86/2018

शिवजी पाण्डेय.....आवेदक।

बनाम्

भरत पाण्डेय वगै0..... विपक्षीगण।

आदेश

07.01.2023 उभय पक्ष की हाजिरी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक– 27.06.2022 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 तथा आदेश 1 नियम 10 दफा 151 सी0 पी0 सी0 में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी सं0 3 श्री निवास पाण्डेय की मृत्यु हो चुकी है तथा पूर्व में उनके मरने की जानकारी कोविड–19 के कारण नहीं हो पाई थी जिसके कारण प्रतिस्थापन सवाल देने में विलम्ब हुआ है। साथ ही आवेदक द्वारा दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत एक आवेदन भी दाखिल किया गया है तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि प्रतिस्थापन सवाल में हुये विलम्ब को माफ करते हुये प्रतिवादी सं0 3 का नाम इस वाद से कलमजद किया जाये तथा उनके वारीसानों को इस वाद में उनके जगह पर प्रतिस्थापित किया जाये।

विपक्षी द्वारा दिनांक– 19.11.2022 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन विचारणीय नहीं है तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी सं0 3 श्रीनिवास पाण्डेय का इस मुकदमा में वफात करने का उल्लेख किया गया है तथा उनके जगह पर उनके वारीसान को प्रतिस्थापित करने का आवेदन दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उक्त आवेदन में श्रीनवास पाण्डेय की मृत्यु की तिथि दर्ज नहीं है,ऐसी स्थिति में बिना स्पेस्फिक नहीं होगा। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि भारतीय लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत विलम्ब माफी का आवेदन दाखिल किया गया है, लेकिन मृत्यु की तिथि नहीं होने से सवाल दाखिल करने में कितना विलम्ब हुआ है यह स्पष्ट नहीं है तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी सं0 3 श्रीनिवास पाण्डेय की मृत्यु की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया जाता तब तक उक्त आवेदन पर विचार करना न्यायोचित नहीं होगा। अतः उक्त आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख एवं आवेदन में मृत्यु की तिथि अंकित नहीं है, परन्तु कोविड के समय मृत्यु होने की बात की गई है। उनके उत्तराधिकारियों का नाम आवेदन में उल्लिखित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोविड काल में लिमिटेशन बढ़ाने के आदेश की समय सीमा समाप्त होने के बाद विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, परन्तु न्याय निर्णयन हेतु पक्षकारों का अभिलेख पर आना आवश्यक है। अतः न्यायहित में आवेदक का आवेदन मो0 पांच सौ रूपये खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक–04.02.2023.वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

ह0/–

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

सब जज प्रथम, डुमरॉव ।